"विकास और अर्थव्यवस्था" विषय पर भाषण, अंतर-संसदीय संघ की 141वीं सभा, बेलग्रेड (सर्बिया), 13 से 17 अक्तूबर 2019

सभापति महोदय और मित्रो:

- सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किए जा रहे वैश्विक प्रयासों की परिणति आर्थिक विकास के रूप में ही होती है। विश्व समुदाय इस विचारधारा में विश्वास रखता है कि ऐसी विकास प्रक्रिया को सतत कहा जा सकता है यदि इस प्रक्रिया में भविष्य की पीढ़ियों की उनकी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के सामर्थ्य को हानि पहुंचाए बिना वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। सतत विकास का संबंध साम्यता से है जिसे जन कल्याण के लिए समान रूप से उपलब्ध अवसर के रूप में परिभाषित किया गया है और इसका संबंध उद्देश्यों की व्यापकता से भी है।
- भारत में हम *वसुधैव कुटुम्बकम* की अवधारणा में विश्वास रखते हैं जोकि एक प्राचीन वाक्यांश है जिसका अर्थ है "पूरा विश्व एक परिवार है", जिसमें सारगर्भित रूप से आर्थिक विकास सहित जीवन के सभी पहलुओं के बारे में भारत का दृष्टिकोण समाहित है। इस प्रकार, सतत विकास लक्ष्य हमारे देश की प्राचीन परम्परा और विरासत का अभिन्न अंग रहे हैं। वास्तव में यह लक्ष्य भारत के आर्थिक विकास एजेंडे को व्यापक रूप से परिलक्षित करते हैं। यही बात सितम्बर 2015 में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास संबंधी शिखर सम्मेलन में हमारे प्रधान मंत्री द्वारा दिए गए भाषण में उभरकर आयी थी, उन्होंने कहा था "भारत के विकास एजेंडे के अधिकांश पहलू सतत विकास लक्ष्यों में परिलक्षित होते हैं। हमारी राष्ट्रीय योजनाएं महत्वाकांक्षी और उद्देश्यपूर्ण हैं; पूरी मानवता के छठें हिस्से के सतत विकास से पूरे विश्व और हमारे सुन्दर ग्रह के लिए दूरगामी परिणाम प्राप्त होंगे।"
- प्रधान मंत्री द्वारा दिया गया *सबका साथ सबका विकास* का नारा भारत के राष्ट्रीय विकास एजेंडे और अर्थव्यवस्था का आधार है।
- सभापति महोदय, हमारे देश ने हमेशा से ही विकास की योजनाबद्ध प्रणाली का अनुसरण किया है। हमारे देश की सभी योजनाओं और कार्यक्रमों को सांविधिक और संरचनात्मक रूप से समर्थन प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर, इस समय नीति आयोग विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों के साथ परामर्श कर सक्रिय रूप से राष्ट्र की प्राथमिकताओं और

अर्थव्यवस्था को परिलक्षित करने वाली योजनाओं और कार्यक्रमों का निर्माण करता है। हमारे देश में केन्द्र और राज्यों के बीच और राज्यों और स्थानीय निकायों के बीच उत्तरदायित्वों के प्रत्यायोजन के लिए समुचित रूप से समरूप पैटर्न को अपनाया जाता है। हमारे देश के विकास और वर्तमान आर्थिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए नीति आयोग भारत की विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों, नीति-निर्माण और हमारी सरकार द्वारा चलाई जा रही विकासात्मक योजनाओं में सतत विकास लक्ष्यों का समावेश कर इनके महत्वाकांक्षी उद्देश्यों को प्राप्त करने पर ध्यान-केंद्रित कर रहा है।

- सतत विकास लक्ष्यों के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, हमनें विभिन्न अर्थोपायों के माध्यम से वित्तीय संसाधनों को जुटाने, क्षमता को विकसित करने और पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों के साथ-साथ डाटा तथा संस्थाओं के अंतरण के लिए प्रयास किए हैं। हमारे देश में कारपोरेट सामाजिक दायित्व की अवधारणा का पालन किया जाता है जिसमें कारपोरेट घरानों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक विकास की जिम्मेदारी का कुछ हद तक निर्वहन किया जाता है। इसके अलावा, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के हितधारक – केन्द्र और राज्य सरकारें, सिविल सोसायटी, तकनीकी विशेषज्ञ और शिक्षा जगत के विद्वान – देश के विकास में भागीदारी कर रहे हैं।
- सतत विकास लक्ष्यों के अंतर्गत विभिन्न लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु नीतियों का निर्माण करते समय, भारत में हम वित्तपोषण की समस्या, व्यापक आधार वाले आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, लोक सेवाओं के प्रभावी परिदान को सुनिश्चित करना, बुनियादी अवसंरचना के विकास, प्रौद्योगिकी और क्षमता-निर्माण को बढ़ावा देना, स्थानीय रूप से सतत विकास लक्ष्यों के उद्देश्यों को कार्यान्वित करना, समुचित समन्वयन को सुनिश्चित करना, और विकास लक्ष्यों और अर्थव्यवस्था की निगरानी करना और इस पर अनुवर्ती कार्रवाई करना जैसी विकास संबंधी चुनौतियों का समुचित रूप से समाधान करते हैं।
- सभापति महोदय, विधानमंडलों का उत्तरदायित्व होता है कि वे विधान बनाए, नीति-निर्माण पर नज़र रखें और बजट को स्वीकृति प्रदान करें। अतः इस पूरी प्रणाली के केन्द्र में होने के कारण संसदें राष्ट्रीय विकास एजेंडे के स्वरूप और उसकी विषयवस्तु को निर्धारित करने में, सभा में विधि-निर्माण, वाद-विवाद तथा चर्चाओं के द्वारा, संसदीय समितियों, राजनीतिक दलों के रचनात्मक सहयोग, विभिन्न विकास कार्यक्रमों के लिए बजट आबंटन, अंतरराष्ट्रीय सहयोग

और सम्मेलनों के द्वारा सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में एक विशेष स्थान रखती है। सांसदगण अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में की जाने वाली अपनी भागीदारी का उपयोग कर सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित मुद्दों को उठा सकते हैं। इनमें अंतर-संसदीय संघ (आईपीयू), राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (सीपीए) के सम्मेलन, संगोष्ठियाँ, कार्यशालाएं इत्यादि और दक्षिण एशियाई देशों की संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के शिखर सम्मेलन इत्यादि शामिल हैं।

- स्थानीय नेताओं और जन-प्रतिनिधियों के रूप में, संसद सदस्य निधियों के प्रवाह, विश्वसनीय रिपोर्टिंग, परिणामों का वस्तुनिष्ठ और सामयिक मूल्यांकन कर और सेवाओं को समुचित रूप से लक्षित करने जैसी लोक सेवाओं की रूपरेखा बनाने, उनका कार्यान्वयन करने और उनकी निगरानी करने में स्वयं को संलग्न कर सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के प्रभावी और दक्ष परिदान को सुकर बना सकते हैं। इससे सतत विकास लक्ष्यों के अंतर्गत लक्ष्यों को प्राप्त करने और अपने देश के आर्थिक विकास को मजबूती प्रदान करने में निश्चित रूप से मदद मिलेगी।
- मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमारा देश विकास के एक ऐसे युग में प्रवेश करने के लिए प्रतिबद्ध है जिसमें इसके सभी नागरिक गरीबी रेखा से नीचे की दयनीय अवस्था से बाहर निकलने में सक्षम होंगे और उन्हें स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, जल और स्वच्छता, बिजली, स्वास्थ्यकर पर्यावरण, प्रौद्योगिकी तक पहुंच तथा सामाजिक समानता और न्याय की सुविधाएं प्राप्त होगी। हमारा देश सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु लक्षित तिथि से अवगत है, परन्तु वास्तव में हम इन लक्ष्यों के अस्तित्व में आने से पहले से ही इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य कर रहे हैं और हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में योजनाबद्ध तरीके से प्रयास कर रहे हैं। एक विकासशील देश की वित्तीय बाध्यताओं के बावजूद, जहाँ हमेशा ही उपलब्ध संसाधनों और संसाधनों की आवश्यकता वाले लोगों की संख्या में भारी अंतर रहता है, हम सतत विकास लक्ष्यों के अंतर्गत तय किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि सतत विकास के सिद्धांत निश्चित रूप से हमारे आर्थिक विकास का मार्गदर्शन करते रहेंगे।